न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 231/2011

प्रविष्टि दिनांक 08.07.2011

हनुमानसिंह शेखावत पुत्र सवाईसिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी पृथ्वीपुरा तह0 श्रीमाधोपुर जिला–सीकर हाल निवासी पुरानी टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक

2–परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित (1) श्री संजय चोधरी,अभिभाषक प्रार्थी अनुपस्थित

(2) श्री रामधन सेनी,श्री दीपक शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2

निर्णय

दिनांक 6–10–2021

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे धोलाखेड़ा तहसील टोंक की भूमि ख0नं0 62/10 में से 159 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा 31566/रूपये बंजड़ भूमि मानकर निर्धारण किया गया है। प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि आवासीय प्लाट के रूप में विकसित थी जिस पर बाउन्ड्री बनी हुई थी। प्रार्थी की भूमि का मुआवजा प्रार्थी को सुने बिना बहुत कम निर्धारित किया गया है जबकि बाजारू दर के अनुसार डीएलसी दर का आंकलन किया है वह बाजारू कीमत व डीएलसी दर से बहुत कम है। प्रार्थी ने जब भूमि क्रय की थी वह आवासीय कालोनी में से खातेदार केप्टिन शमशेर से दिनांक 17–8–2000 को क्रय करके रजिस्ट्री करवाई थी उस समय उसकी कीमत 283150/रूपये आंकी गई थी। प्रार्थी की भूमि का आवासीय भूमि का मुआवजा निर्धा[illegible] भूमि की दर का मुआवजा निर्धारण किया गया है। अतः अवार्ड दिनांक 20–[illegible]–20[illegible] को अपास्त कर बंजड़ भूमि के स्थान पर आवासीय भूमि की द[illegible] का मुआ[illegible] निर्धारण कर राशि दिलाने का आदेश प्रदान करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:43:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते

आरबीट्रेटर
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12,
(जिला कलेक्टर) टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली 843/2009 दिनांक 20-12-2010 तलब की गई। अभिभाषक प्रार्थी अनुपस्थित रहे अभिभाषक प्रार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र व लिखित बहस में अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थी की भूमि ख0नं0 62/10 में से 159 वर्गमीटर वाके ग्राम घोलाखेड़ा तह0 टोंक अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात प्रार्थी को 3 सी के अन्तर्गत आपति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था,परन्तु प्रार्थी द्वारा कोंई आपत्ति प्रस्तुत नही की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया था,परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म बंजड़ राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्म्पूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या- 2 की बहस सुनी। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा अवार्ड संख्या 843/2009 दिनांक 20-12-2010 से प्रार्थी की भूमि ख0नं0 62/10 में से 159 वर्गमीटर किस्म बंजड़ का डी.एल.सी. दर से ग्राम धोलाखेड़ा का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का 31566/रू0 निर्धारण कर नियमानुसार हितबद्ध व्यक्ति के नाम जमा किया गया है। प्रार्थी द्वारा आवासीय भूमि की दर से मुआवजा चाहा गया है,परन्तु आवासीय भूमि के संबंध मे संपरिर्वतन आदेश तथा अन्य साक्ष्य-सबूत पेश नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनाक 6-10-2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
आरबीट्रेटर एन.एच. 12
(जिला कलेक्टर)
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:43:20 IST
Reason: SelfAttested